

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांक: सं०सं०-72/बी०एन०आर०सी०/2020/.....

स्वा०,पटना, दिनांक

यूथ फोर्स सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, फुलवरिया, महुआ, वैशाली-844122 द्वारा संचालित चंचल सुमन नर्सिंग कॉलेज, फुलवरिया, महुआ, वैशाली-844122 के अन्तर्गत, जी०एन०एम० एवं बी०एस०सी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2279/बी०एन०आर०सी०, दिनांक 21.08.2024 के द्वारा डॉ० असीम कुमार दास, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक सत्र- 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27(जी०एन०एम० एवं बी०एस०सी० नर्सिंग) के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2-सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3-संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability हेतु आवेदन एक पक्ष के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

4- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकसं०सं०-72/बी०एन०आर०सी०/2020/2647

पटना, दिनांक 12-07-24

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, चंचल सुमन नर्सिंग कॉलेज, फुलवरिया, महुआ, वैशाली-844122 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, स्वा०विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।



बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)

बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)

फोन नंबर: 0612-2215001

ईमेल आई.डी.: registrar.bnrc@gmail.com



सं०सं० 58/बी.एन.आर.सी./2023/.....

दिनांक...../...../2023

—: सहमति पत्र :—

प्रेषक,

श्रीमती निर्जला कुमारी
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,
चंचल सुमन नर्सिंग कॉलेज,
फुलवरिया, महुआ, वैशाली, बिहार-844122,

विषय :- सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 1031(6), दिनांक 04.07.2023.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक CSNC/YFSW/23/407, दिनांक 04.07.2023 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1031(6), दिनांक 04.07.2023 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1031(6), दिनांक 04.07.2023 के द्वारा संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2023-24) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(निर्जला कुमारी)

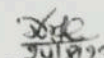
निबंधक

ज्ञापांक-सं०सं०-58/बी.एन.आर.सी./2023~~2026~~...../स्वा0, पटना, दिनांक~~25~~/08...../2023

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)-सह-अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।


23/08/23
निबंधक

ANNEXURE - 12

बिहार सरकार स्वास्थ्य निदेशालय आदेश

आओसओ-6 / एनओ-08-56 / 2021-.....

/ पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश झापांक-139(6), दिनांक-22.02.2022 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में यूथ फोर्स सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, चंचल सुमन हॉस्पिटल, जवाहर चौक, महुआ, वैशाली द्वारा प्रस्तावित चंचल सुमन नर्सिंग कॉलेज, फुलवरिया, महुआ, वैशाली-844122 को जीओएनओएमओ संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश झापांक-393(6), दिनांक-31.05.2022 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ० रूप नारायण कुमार, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त चंचल सुमन नर्सिंग कॉलेज, फुलवरिया, महुआ, वैशाली-844122 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में जीओएनओएमओ पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

हओ/-

(डॉ० अनिल कुमार तिवारी)

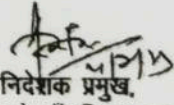
निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 6/एन0-08-56/2021.1021(6)

पटना दिनांक - 04/07/2023

- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, चंचल सुमन नर्सिंग कॉलेज, फुलवरिया, महुआ, वैशाली-844122 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

12

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 22.12.2023

अ.सं.-संब0-6032/2023-861 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-15.12.2023 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Institute	District	Course	No. of Seat
1	2	3	4	5
1	Acharya Sudarshan Paramedical & Nursing College	Sitamarhi	ANM	60
2	Apollo Nursing Training School	Darbhanga	GNM	40
3	Champan Group Of Institutions	West Champaran	ANM	100
			GNM	100
4	Chanakya College of Education	Patna	GNM	60
5	D.P.S. School of Nursing	Gaya	GNM	60
6	Heera Singh Deepa Singh Jee College of Higher Education	Bhojpur	ANM	60
7	J P College Of Nursing	Samastipur	ANM	60
8	Mata Manjharo Ajab Dyal Singh College of Higher Education	Bhojpur	ANM	60
9	Navrang Prabhunath Institute Of Nursing & Hospital	Siwan	GNM	60
10	Prabhu Kailash Nursing College	Aurangabad	GNM	60
11	Raj Nursing Institute	Kaimur	ANM	60
12	Shanta Nursing Institute	Aurangabad	ANM	60
13	Shree B P Memorial Institute Of Nursing & Paramedical Sciences	West Champaran	GNM	60
14	Vindeshwari Prasad Singh College of Nursing	Patna	ANM	60
15	Vivekanand Paramedical & Nursing College	Gaya	GNM	60
16	Modern Institute of Nursing	Banka	GNM	60
17	Vishun Dev Narayana Institute of Higher Education	Nalanda	ANM	60
			GNM	60
18	Patel Nursing College	Purnea	GNM	60
19	Vidyapati Institute of Higher Education	Samastipur	GNM	60
20	Leader Institute of Higher Education	Samastipur	GNM	60
21	L.T. Nursing Institute	Brojpur	ANM	60
22	Shivam Higher Education Foundation ANM Training School	Purnea	ANM	60
23	Shivam Higher Education Foundation GNM College	Purnea	GNM	60
24	Savitri Nursing Training School	Nawada	ANM	55
25	Shyam School of Nursing	Jehanabad	ANM	60
			GNM	60
26	RCH Nursing College	Siwan	GNM	60

23/12

27	Chanchal Suman Nursing College	Vaishali	GNM	60
28	Maharishi Dayanand Institute of Nursing	Darbhanga	ANM	20
			GNM	60

नियम एवं शर्तः:-

1. औपबन्धिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा-8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबन्धिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2023-24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबन्धिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा)
22/12/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
पटना, दिनांक 22.12.2023

ज्ञापक : संबं.-6032/2023-861/

प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विमलेश कुमार झा)
22/12/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-861/

-3-

पटना, दिनांक 22.12.2023

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.उ.सि.व.
22/12/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-861/

पटना, दिनांक 22.12.2023

प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.उ.सि.व.
22/12/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना